न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 117/2010 जी.सी.एम.नम्बर 2010/00034

1 आनन्दप्रकाश पुत्र नानगराम जाति बैरवा, निवासी बी-289, आदर्श नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1.सांवता (मृतक दौराने अपील)
1/1. मूलचन्द पुत्र सांवता
1/2. फूल्या पुत्र सांवता
1/3. छोट्या पुत्र सांवता
1/4. शिवराम पुत्र डूंगरया पुत्र सांवता
1/5. मंगलराम पुत्र डूंगरया पुत्र सांवता
1/6. कमली बेवा डूंगरया पुत्र सांवता
जाति मीणा निवासी ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
2. कल्याण पुत्र गोविन्दा (मृतक दौराने अपील)
2/1. गोपाल पुत्र लालाराम पुत्र कल्याण
2/2. छोटू पुत्र लालाराम पुत्र कल्याण
2/3. कमली बेवा लालाराम
2/4. सीताराम पुत्र कल्याण
2/5. रमेश पुत्र कल्याण
3. मोती पुत्र गोविन्दा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
4. सूज्या (मृतक दौराने अपील)
4/1. कमली पुत्री सूज्या पत्नी फैलीराम पुत्री सूज्या जाति मीणा निवासी ग्राम उरियावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।
5. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुरदिनांक 23/02/2007 जिसके द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 10/8/1977 तहसीलदार बस्सी निरस्त किया गया।

उपस्थित—

1. श्री सुबोध जैन, वकील अपीलान्ट
2. श्री श्रीकांत मीणा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/6 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारितनिर्णय दिनांक 23/02/2007 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 23/02/2007 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23/02/2007 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअपीलान्ट के पिता नानगराम को ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 32 में से 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि काश्त के लिये दिनांक 24–6–70 को आवंटन हुआ और उसी दिन कब्जा अलॉटी अपीलान्ट के पिता नानगराम को दे दिया। तब से आवंटी नानगराम व नानगराम के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त बतौर खातेदार चला आ रहा हैं। इसकी अनुपालना में प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 37 बहक आवंटी नानगराम पुत्र कालूराम जाति बैरवा गैरखातेदार के रूप में तहसीलदार बस्सी ने दिनांक 10–8–77 को तस्दीक किया जिसकी अपील बिना किसी लोकस व बिना इजाजत प्राप्त किये अपील बिना आधार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ए०डी०एम० प्रथम में काफी लम्बे समय बाद मियाद बाहर 6–4–2005 को अपील पेश की, जिसे गलत तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश 23–2–2007 के जरिये स्वीकार कर अपीलार्थी के पिता के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 37 निरस्त कर दिया। नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 10–8–77 को बहक अपीलार्थी के पिता के नियमानुसार तस्दीक किया गया था। नामान्तरकरण संख्या 37 के पृष्ठ पर पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट है कि आवंटन की अनुपालना में कब्जा आवंटी को संभला दिया गया है, फिर आवंटी का कब्जा न होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इस लिहाज से कब्जे के अभाव में नामान्तरकरण संख्या 37 खारिज करने के आदेश देने में अधिनस्थ न्यायालय ने मारी भूल की है। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही था। भूमि आवंटन के दिन आवंटन योग्य थी। नियमानुसार आवंटन किया गया था। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने न तो अपील पेश करने की इजाजत ली, न उनका आवंटन से हित प्रभावित होता था, न इस प्रकार की कोई मंशा ही जाहिर की थी। इस लिहाज से विधिवत रूप से आवंटन के फलस्वरूप तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 37 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर नामान्तरकरण संख्या 37 निरस्त करने में मारी भूल की है। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आवंटन के बाद तस्दीक नामान्तरकरण को एक बार पूर्व में खारिज होना मानकर पुनः नामान्तरकरण नही भरे जाने का मुख्य आधार बताया है, जो गलत है, आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तरकरण जो तस्दीक किया गया था, इसे ग्राम पंचायत को खारिज करने का अधिकार नही था । कानूनन अनाधिकृत रूप से पूर्व में खारिज नामान्तरकरण के आधार पर विधिवत तरीके से आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तरकरण जो तहसीलदार बस्सी ने तस्दीक किया है, निरस्त नही किया जा सकता इस लिहाज से प्रश्नाधीन निर्णय निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 प्रश्नाधीन भूमि मुतालिक कई प्रकरण आवंटन के बाद के बाद गैर खातेदारी नामान्तरकरण संबंधी नियमित दावे व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक स्थगन के मामले चलेफिर भी उनका यह कहना कि नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 10–8–77 की जानकारी सन् 2005 में अपील पेश करते वक्त ही हुई है, सही नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील क्लीन हैण्डस से नही थी, मियाद बाहर थी, इस लिहाज से प्रश्नाधीन निर्णय निरस्तनीय हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का आराजी जैर अपील न तो आवंटन के पूर्व, न आवंटन के बाद कभी कब्जा रहा है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवंटन के समय भूमि आवंटन योग्य सिचाय चक थी, जिसका नियमानुसार आवंटन के पश्चात अपीलान्ट के पिता का कब्जा काश्त व अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट का आराजी जैर अपील पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट निर्णय अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 23–2–2007 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 10–8–77 तहसीलदार बस्सी बहाल रखे किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित विवादित भूमी का मूल खसरा न. 56 रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा था जो लक्ष्मी नारायण पुत्र गोपाल बख्श जागीरदार की भूमी थी जिसके बताये अनुसार मिन रेस्पो0 के पिता गोविन्दा भूमी पर संवत 1990 से काश्त करते थे, खसरा गिरदावरी चौसाला 2009 से 2012 मे गोविन्दा का नाम खुद काश्त मे दर्ज है। संवत 2015 में भूमी बन्दोबस्त के दौरान उक्त भूमी के 2 टुकडे क्रमश खसरा न. 56/464 और खसरा न. 32 हुये जिसमे से खसरा न. 56/464 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी गोविन्दा के नाम दर्ज हुयी और शेष 18 बीघा 4 बिस्वा को अवैध रुप से मकबूजा ठिकाना लगानी दर्ज कर दिया गया जिसके खिलाफ गोविन्दा ने ए. एस. ओ. बन्दोबस्त के समक्ष उर्जदारी पेश करी ततपश्चात बन्दोबस्त बन्द हो जाने के कारण उर्जदारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर को ट्रांसफर हुयी जिस कार्यवाही मे भूरा ओर जोधा विरोधी पक्षकार थे जहाँ मुकदमा न 21/1965 के अर्न्तगत दिनांक 29.11.1965 के दिन उक्त उर्जदारी में निर्णय दिया जाकर खसरा न. 56 लक्ष्मी नारायण जागीरदार की खातेदारी व गोविन्दा की शिकमीयत में दर्ज किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित हुये जिसके खिलाफआज तक कोई अपील नही हुयी इसलिए यह निर्णय विवादित भूमी के संबंध में एक अन्तिम न्यायिक निर्णय है उक्त निर्णय दिनांक 29.11.1965 राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश भी तहसीलदार बस्सी ने मिसल संख्या 1416/1971 दिनांक 31.12.1975 द्वारा पटवारी हल्का को जारी कर दिया था ततपश्चात भी पालना तो नही हुयी बल्की राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक अंकन दर्ज कर दिया जिसका फायदा अवैध रुप से रेस्पोन्डेण्टस ने उठाया परिणाम मे महादेव व कल्याण ने उठाकर 8 बीघा भूमी का नियमन अपने नाम करवा लिया जिस नियमन को न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर ने अपील संख्या 542/1970 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.06.1976 के अनुसार खारिज कर दिया जो निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल रहा। इसी प्रकार रेस्पोन्डेण्ट संख्या 4 के पिता नानगराम ने फर्जी तरीके से तहसीलदार से मिलकर 6 बीघा भूमी अपने नाम से अलॉटमेन्ट करवा ली जबकी यह अलॉटमेन्ट भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.1965 के खिलाफ था और जो प्रारम्भतः शून्य था। अपीलांट के पिता नानगराम के नाम फर्जी नामान्तरकरण सर्वप्रथम नामा0 संख्या 24 खोला गया जो कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.10.1974 को मौके पर कब्जा ना होने की स्थिति में खारिज फरमा दिया गया। इसकी बिना अपील किये पुनः गलत तरीके से 4 साल बाद पुनः नामा0 संख्या 37 गैर खातेदारी का अपने नाम खुलवा लिया जो कि अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2007 द्वारा निरस्त फरमा दिया गया। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर प्रमाणित दस्तावेजात् रिकॉर्ड पर लिये जाते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है प्रकरण में मूल विवाद ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित खसरा नं 32 में से 6 बीघा 4 बीस्वा भूमि के अलॉटमेन्ट अपीलांट के पिता नानगराम के पक्ष में दिनांक 24.06.1970 के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 10.08.1977 को लेकर है। आवंटन पश्चात् सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा नामा0 संख्या 24 भरकर प्रस्तुत किया गया जो कि ग्राम पंचायत खिजुरिया द्वारा सर्वसम्मति से अलॉटी

माननीय आयुक्त
जयपुर

का मौके पर कब्जा ना होने की स्थिति में खारिज फरमा दिया गया। इसके पश्चात् वर्ष 1977 में आवंटी नानगराम के पक्ष में पुनः बिना जॉच के आधार पर नामा0 संख्या 37 दिनांक 10.08.1977 गैर खातेदारी का तहसीलदार बस्सी द्वारा स्वीकार किया गया। जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा नामा0 संख्या 24 आदेश दिनांक 16.10.74 के खारिज होने के पश्चात् पुनः उसी आधार पर 3 वर्ष बाद तस्दीक नामा0 संख्या 37 दिनांक 10.08.1977 को अवैध मानते हुये खारिज किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नं. 32 में से 6 बीघा 4 बीस्वा के आवंटन के समय मौके पर भूमि खाली नहीं थी एवं आवंटन के लिए उपलब्ध भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को अपीलांट के पिता नानगराम के पक्ष में दिनांक 24.06.1970 को आवंटन किया जाना अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य था। उक्त विवादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि थी जिसे गलत तरीके से आवंटित किया गया है एवं पक्षकारान् के मध्य कब्जे के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पक्षकारान् के मध्य सक्षम न्यायालय में नियमित वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के मध्य हक–हकूक व अधिकार तय होने हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2007 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पीपलाबाई तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. 32 में से 6 बीघा 4 बीस्वा भूमि पुनः राजहित में सिवायचक दर्ज की जावे।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।